SA- 200A

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

अप्रैल 1985 में जारी किया गया।

प्रश्न – 1 क्या यह अंकेक्षण मानक समस्त प्रकार के अंकेक्षणों का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निर्धारित करता है?

उत्तर–नहीं, यह अंकेक्षण मानक सिर्फ वित्तीय विवरणों के अंकक्षण से संबंधित उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निर्धारित करता है।

प्रश्न – 2 क्या यह अंकेक्षण मानक समस्त प्रकार के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर लागू होगा ?

उत्तर– नही, यह अंकेक्षण मानक सिर्फ Purpose General Funancial statement के स्वतंत्र अंकेक्षण पर लागू होता है pecial Purpose Financial tatementesS पर यह लागू नहीं होता।

प्रश्नः–3 वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है ?

उत्तरः अंकेक्षण एक प्रक्रिया है ,जिसे अंकेक्षक अपनाता है । अतः किसी भी प्रक्रिया का उद्देश्य उसे अपनाने वाले व्यक्ति को उसके उद्देष्य तक पहुंचाना होता है SA-200A में भी अंकेक्षण का उद्देष्य इसी तरह वर्णित है –

SA-200A के अनुसार–

''किस वित्तीय विवरण (जो मान्यता प्राप्त लेखांकन नीतियों तथा वैधानिक मान्याओं को अपनाकर बनाया गया हो) के अंकेक्षण का उद्देश्य अंकेक्षक को ऐसी स्थिति तक लाना है, जहां से वह वित्तीय विवरणों पर अपनी स्वतंत्र राय व्यक्त कर सके।

प्रश्न – 4 क्या अंकेक्षक की स्वतंत्र राय इस बात की गारंटी है कि व्यवसाय भविष्य में भी इसी प्रकार वर्तमान स्तर की कार्यकुश्लता एवं दक्षता बनाए रखेगा?

उत्तर : नहीं , SA-200A के अनुसार –'' अकेक्षक की राय किसी उपक्रम की सही वित्तीय स्थिति तथा परिचालन परिणामों की सत्य एव उचित छवि के निर्धारण में सहायता करती है उपयोगकर्ता को यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये कि अंकेक्षक की राय उपक्रम भविष्य के उत्पादकता या कार्यक्षमता या दक्षता के प्रति कोई आश्वासन या गारंटी है।

प्रश्न – 5 वित्तीय विवरणों को बनानें एवं प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसकी होती है ?

उत्तर – SA-200Aके अनुसार अंकेक्षक वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी होता है एवं वित्तीय विवरणों रचना के लिए प्रबन्ध पूर्णतः जिम्मेदार होता है । वित्तीय विवरणों की रचना के साथ साथ प्रबंध निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होता है –

- आंतरिक नियंत्रणों की रचना एव ंलागू करना,
- उचित लेखांकन अभिलेखों की रचना तथा रखा जाना,
- लेखांकन नीतियों का चयन एवं उपयोग,
- सम्पत्तियों का अनाधिकृत प्रयोग से बचाव ।

वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण इन दायित्वों से प्रबंध को मुक्त नहीं कर सकता।

प्रश्न : 6 वित्तीय विवरणों के स्वतंत्र अंकेक्षण में सामान्यतः कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने वाले कौन से कारक है ?

उत्तर : प्राथमिक तौर पर अंकेक्षक का कार्यक्षेत्र तीन कारकों पर निर्भर होता है –

- नियुक्ति की शर्तें
- सम्बद्ध वैधानिक आवश्यकताएं
- इन्स्टीट्यूट की घोषणाएं एवं मार्गदर्शन नियमावलिया

यहां यह ध्यान दिया जाना जरुरी है कि नियुक्ति की शर्तें किसी भी प्रकार से विधान द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र को सीमित नहीं कर सकती ।

(SA-200A)

प्रश्न– अंकेक्षक को अपने कार्यक्षेत्र की रुपरेखा बनाते समय किन विषयों का निर्धारण करना चाहिये ।

उत्तर – SA-200A उन विषयों की चर्चा की गई है जिन्हें अंकेक्षक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र की रुपरेखा बनाते समय निर्धारण में लेना चाहिये। ये विषय निम्नलिखित हैं :–

अंकेक्षण योजना इस प्रकार बनाई जावे कि किसी उपक्रम के सभी पहलू अंकेक्षण के क्षेत्र में हों जिनका वित्तीय विवरणों से संबंध है ।

वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करते समय अंकेक्षक का निम्नलिखित के सन्दर्भ पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिये –

1) कि क्या वित्तीय विवरणों का आधार बनने वाले लेखाकन अभिलेखों में दर्ज वित्तीय सूचनाएं विश्वसनीय एवं पर्याप्त हैं एवं

2) वैधानिक मान्यताओं के अनुसार जिन सूचनाओं का उचित प्रकटीकरण आवश्यक था उनका प्रकटीकरण कर दिया गया है ।

यह देखने के लिए कि क्या वित्तीय सूचनाएं विश्वसनीय एव पर्याप्त हैं (बिन्दु1) अंकेक्षक को निम्नलिखित जांच करनी चाहिये –

लेखांकन प्रणाली एवं संबद्ध आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन कर एस आतरिक नियत्रणों का पता लगाना जिन पर विश्वास किया जा सके ताकि Subssanive विधियों की प्रकृति ,समयसीमा तथा गहनता का निर्धारण हो सके ।

– सौदों तथा खातों क शेष की ऐसी जांच करना जिन्हें वह उन परिस्थितियों में ठीक समझता हो ।

अकेक्षक यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सुचनाएं उचित रुप से प्रकटीकृत की गई है कि लिए निम्न जांच करता है –

– कि क्या वित्तीय विवरणों में दर्ज सूचनाएं लेखांकन अभिलेखों से मेल खाती हैं तथा

– प्रबंध द्वारा लेखांकन नीतियों तथ अनुमानों के संदर्भ में लिए गए निर्णयों का

आंकलन करना । सूचनाओं के वर्गीकरण के निर्णयन को आंकना भी अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र में शामिल है ।

सी – अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र में अगले विषय जिसका निर्धारण आवश्यक है, वह है निर्णयन । सामान्यतः अकेक्षण विधियों के निर्धारण का निर्णय एव लेखांकन नतियों के चयन तथा अनुमानों के निर्धारण के संबंध में लिए गए निर्णयों की उचितता को देखना है । अकेक्षक के कार्यक्षेत्र में शामिल है । इस तरह से देखा जाए तो बहुत कम अकेक्षण साक्ष्य ऐसे प्राप्त होते हैं जो अकेक्षक को सम्पुर्ण सुतुष्टि दे सके ,बहुत से अंकेक्षण साक्ष्य ऐसे हाते हें, जिसे सिर्फ निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सूचनामात्र प्राप्त होती है व इसी कारण अंकेक्षक यह मान सकता है कि ''निरपेक्ष निश्चितता'' (Absolute Certainity)अंकेक्षण में आ पाना मुश्किल होता है ।

डी – SA-200A में गबन तथा त्रुअियों का पकडने की अंकेक्षा कार्यक्षेत्र में स्थिति को वर्णित किया गया हे । पैरा 10 के अनुसार–

''वित्तीय विवरणों पर अपनी राय कायम करने के लिए अंकेक्षण उन सभी प्रविधियों को अपनाता है, जिसे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या वित्तीय विवरण संस्था की वित्तीय तथा परिचालन स्थिति के बारे में ''सत्य तथा उचित'' चित्रण प्रस्तुत करते हैं

अकेक्षक इस मान्यता को स्वीकार काता है कि Test check तथा अंकेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण ऐसी संभावना हमेंशा बनी रहती है कि अंकेक्षण के बावजूद वित्तीय विवरणों में मौजूद गबन या त्रुटि के कारण हुए मिथ्या कथन पकड में आने से छूट जाएं।

यदि प्रबंध को अंकेक्षित अवधि के सम्बन्ध में कोई मिथ्या कथन पकड में आता है तो यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि अंकेक्षक ने आधारभूत सिद्धान्तों का पालन नहीं किया है । क्योंकि मिथ्या कथन को रोकना और पकडना न तो अंकेक्षक का उद्देश्य है न ही अंकेक्षण कार्यक्रम इस उद्देश्य के लिए निर्धारित होता है। परन्तु यदि अंकेक्षक को अंकेक्षण के दौरान यदि कोई मिथ्या कथन के उपस्थित होने की शंका होती है तो उसे अपनी अंकेक्षण विधियों को इतना विस्तार देना चाहिये कि शंका की पुष्टि हो जाए ।

इ– अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं गैर महत्वपूर्ण वित्तीय मदों की पहचान भी शामिल है। अंकेक्षक सामान्यतः उन वित्तीय मदों के सम्बन्ध में ज्यादा ध्यान देता है, जो या तो विशिष्ट मदें हैं या समूह रुप में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्णता (मटेरियलिटि) की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। अंकेक्षक के पेशेवर निर्णय पर यह निर्भर करता है कि कौन सी मद उसके लिए महत्वपूर्ण है।

SA-200A पैरा 12 के अनुसार अंकेक्षक ऐसे कार्यों को अपने कार्यक्षेत्र में शामिल करने की अपेक्षा नहीं की जाती जो उसकी योग्यता से परे है।

जी– यदिअंकेक्षक के कार्य्रक्षेत्र पर कोई प्रतिबन्ध आरोपित किया जाता है तो अंकेक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रतिबन्ध का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख कर एक मर्यादित या राय का खंडन जैसा भी हो अपनी राय व्यक्त करेगा।